(Through speed post)

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.–7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008, (म.प्र.)

CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in

दूरभाषः0761–2702020, फैक्सः 0761–2661219, 2669005

ईमेल–cgmhr.mpez@mp.gov.in

विद्युत् प्रज्योति

क्र.प्रसं/पूक्षे/मु.म.प्र.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/मा.सं./ला.परि.(सं)18/प्र.सू.2/253 जबलपुर, दिनांक 11.01.2019

प्रति,

लाइन परिचारक (संविदा) बैच 2018

प्रतीक्षा सूची–2 के अनुसार

Application No.	:	As per list
Category	:	As per list
Selected category	:	As per list

विषयः लाइन परिचारक (संविदा) बैच 2018 के पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना **(प्रतीक्षा सूची–2)**।

....

प्रिय अभ्यर्थी,

आपको सूचित किया जाता है कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में लाईन परिचारक (संविदा) बैच 2018 के पदों पर चयन के संबंध में एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आयोजित आनलाईन परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अर्जित अंक एवं पात्रतानुसार कार्यानुभव के सापेक्ष बोनस अंकों के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची में आपका नाम अनारक्षित/अपिव/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है।

कृपया ध्यान दें, आनलाईन आवेदन में आपके द्वारा अंकित विवरण का मूल अभिलेखों से मिलान करने पर विज्ञापन में वर्णित अन्य अर्हताएं निर्धारित सेवाशर्तों के अंतर्गत उपयुक्त एवं सही पाये जाने पर ही आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पात्र समझा जावेगा।

चयन प्रकिया के अंतर्गत आनलाईन आवेदन में आपके द्वारा अंकित विवरण का मूल अभिलेखों से मिलान एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु दिनांक **21.01.2019 को प्रातः 10:30** बजे कार्यालय उप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, ब्लाक नं. एस.पी.–2, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नयागांव जबलपुर में उपस्थित होना अनिवार्य है। अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियों एवं एक सेट प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होवें:

1	छायाचित्र युक्त परिचय पत्र (इनमें से कोई एक–ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि)
2	स्थाई निवास पता संबंधित प्रमाण (इनमें से कोई एक– आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, बैंक पासबुक इत्यादि)
3	म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र
4	कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची
5	आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण (इलेक्ट्रीकल/वायरमेन/लाईनमेन ट्रेड से) अंकसूची एवं प्रमाण पत्र–दो वर्षीय पाठ्यक्रम
6	एम.पी. आनलाईन द्वारा आयोजित परीक्षा के स्कोर कार्ड की छायाप्रति
7	स्वयं के नवीनतम 5 नग पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (संलग्न प्रारुप में)
8	यदि लागू हो तो (आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावें) 8.1 स्थायी जाति प्रमाण पत्र (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी) 8.2 राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी कंपनी में अनुबंध के आधार पर मीटरवाचक, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र आपरेटर अथवा लाइन परिचारक (संविदा) का कम से कम 3 वर्ष का कार्यअनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (कार्यपालन अभियंता अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी) 8.3 वर्तमान में किसी संस्था/कार्यालय में कार्यरत होने पर संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

चयन प्रकिया के अंतर्गत यह सूचना पत्र आपकी पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। अतएव अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उपस्थित होने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि आप म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में लाईन परिचारक (संविदा) के लिये जारी विस्तृत विज्ञापन क्रमांक प्रसं/पू.क्षे./मु.महा.प्र.(मा.सं.एवंप्रशा.)/मा.सं./ला.परि.(सं)–18/3218 दिनांक 31.05.2018 में अंकित पात्रता संबंधी समस्त मापदण्ड पूर्ण करते हैं। आनलाइन आवेदन में अंकित विवरण से प्रमाणपत्रों के मिलान पर यदि आपके द्वारा कोई गलत अथवा कूटरचित जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए चयन प्रकिया हेतु विचार में नहीं लिया जावेगा।

यह पत्र मात्र सूचना पत्र है, नियुक्ति प्रस्ताव नहीं है। अभिलेखों के सही मिलान एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कंपनी आवश्यकतानुसार लाईन परिचारक (संविदा) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पृथक से नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करेगी। कंपनी यह अधिकार सुरक्षित रखती कि आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से कराये जाने पर, अभिलेख कूटरचित/दोषपूर्ण पाये जाने की स्थिति में बिना किसी सूचना के आपकी उम्मीदवारी/चयन निरस्त कर सकेगी।

उपमहाप्रबंधक (मा.संसा.)

कार्या.मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.)